२११

Central Pulp & Paper Research Institute
DIRECTOR'S SECRETARIAT
Received on
07 OCT 2015
Saharanpur (U.P.)

सेवा में,

श्रीमान प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी महोदय,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर।

विषय:- प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत जनसूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजे गये प्रार्थनापत्र पर जनसूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर प्रथम अपील ।

श्रीमानजी,

सविनय निवेदन हैकि प्रार्थी ने श्री बी0के0 नेगी द्वारा पब्लिक-मनी के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जनसूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कियाथा। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र में माँगी गयी जनसूचनाओं के सम्बन्ध में जनसूचना अधिकारी ने जो जवाब भेजा है उसमें " सूचना का अधिकार अधि0-2005 के नियम- 8(1) (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती "लिखा है। जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी ने जो सूचनाएं -जनसूचना अधिकारी महोदय केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर में चाही थी वह विभाग से सम्बन्धित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा गैर- कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और श्री बी0के0 नेगी द्वारा किये गये विधि- विरूद्ध कृत्यों को छिपाने के लिए श्री बी0के0 नेगी के अवैधानिक कृत्यों के सम्बन्ध में चाही गयी जनसूचनाएं जानबूझकर= जनसूचना अधिकारी महोदय ने उपलब्ध नहीं करायी गयी है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा 04•08•2015 को प्रेषित डाक 12•08•2015 को प्राप्त होना दर्शाया जारहा है ताकि जनसूचनाएं जो 30 दिन के अन्दर अर्थात् 04•09•2015 तक प्रेषित करनी थी औ जो कि 11•09•2015 में प्रदान की गयी हैं ताकि वह समयावधि के अन्दर दर्शायी जा सके।जबकि जनसूचना अधिकारी महोदय द्वारा 30 दिन की अवधि बीतने के उपरान्त गैर- कानूनी रूप से श्री बी0के0 नेगी के साथ मिलकर सही जनसूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं । इसलिये प्रार्थी/अपीलार्थी की प्रथम अपील पर कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी को आवश्यक जन-सूचनाएं उपलब्ध करायी जाएं।

श्री राजेश पाल शर्मा APIO कृपया देखें 07/10/2015

अत: श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को चाही गयी

शेष पृष्ठ-2पर••

२८/९/१५

जनसूचनाएं उपलब्ध करायी जायें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

-: वांछित जन-सूचनाएं निम्न प्रकार हैं :-------

1- उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांक- 24.03.2011 पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त कार्यवाही की समस्त जॉच आख्या मयसमस्त दस्तावेजों के उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2- उक्त जॉच कब व किस जॉच अधिकारी के द्वारा सम्पन्न की गयी सम्पूर्ण विवरण सहित बताने की कृपा करें।

3- यदि उक्त शिकायती प्रार्थनापत्र पर जॉच लम्बित है तो हाल तक की जॉच की समस्त आख्या सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जावे।

संलग्नक :-

1- पत्र दिनांक- 24.03.2011 प्रेषक श्री आई0के0शर्मा
2- पोस्टल आर्डर सं0- 34 एफ0- 323666 की फोटो कॉपी।
3- प्रेषित पत्र दि0- 04.08.15 की फोटो कॉपी।
4- डाक रसीद दि0- 04.08.15 की फोटो कॉपी।
5- जन-सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये जवाब की फोटो कॉपी।
6- लिफाफा जिसमे जवाब प्राप्त हुआ की फोटो कापी

प्रार्थी,

28/9/15

{ निशान्त त्यागी }
एडवोकेट,
चै0नं0- 23, सिविल कोर्ट,
सहारनपुर।

दह टका · दश टाका · दस रुपिया · [illegible] · [illegible] · [illegible] · दहा रुपये · [illegible] · दस रुपए · दश रूप्यकाणि · [illegible] · [illegible]

अधपन्ना COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable ________

किस डाकघर में
At what Office ________

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed ________

भेजने की तारीख
Date sent ________

34F 323666

अपराक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO [illegible handwriting] को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT [illegible handwriting]

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

34F 323666

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

[illegible handwriting]

सत्यमेव जयते

True Copy

[illegible] Advocate
Ch. No.-23, Civil Court
Saharanpur

RLAD NARAYANPURI <247001>
A RU151974286IN

Counter No:1,OP-Code:05
To:C P P R I,
SAHARANPUR HO, PIN:247001
From:NISHANT TYAGI ADV , SRE
Wt:20grams,
PS:25.00, , 04/08/2015 , 12:44
<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक
India Post

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर।

विषय– जन सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि श्री बी0 के0 नेगी जो वर्तमान में आपके संस्थान में सहायक के पद पर कार्यरत है, ने बिल संख्या 2/10–11 दिनांक20–4–2010 से 27–04–2010 में अपने बच्चों को यात्रा में दिखाकर उनके व्यय एल टी सी के रूप में प्राप्त कर चुके हैं जिसके सम्बन्ध मे श्री आई0 के0 शर्मा ( तत्कालीन सेक्शन आफिसर ) वित्त एवं लेखा विभाग सी पी पी आर आई सहारनपुर द्वारा दिनांक 24–3–2011 को मुख्य सतर्कता अधिकार सी पी पी आर आई सहारनपुर को शिकायत की थी जिसकी फोटो कापी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गयी है जिसके सम्बन्ध में सूचनाऐं प्रार्थी को उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है।

आवश्यक शुल्क बजरिये पोस्टल आर्डर संख्या– 34 एफ– 323666 जमा की जा रहीहै यदि शुल्क कम हो तो सूचना पर तुरन्त उपलब्ध करा दिया जावेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि निम्न लिखित जन सूचना प्रार्थी को अर्न्तगत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उपलब्ध कराने की कृपा करें।

वांछित जन सूचनाऐं निम्न प्रकार हैं:–

1– उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 24–3–2011 पर आपके विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? उक्त कार्यवाही की समस्त जांच आख्या मय समस्त दस्तावेजों के उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2– उक्त जांच कब वकिस जांच अधिकारी के द्वारा सम्पन्न की गई सम्पूर्ण विरण सहित बताने की कृपा करें।

3– यदि उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच लम्बित है तो हाल तक की जाच की समस्त आख्या सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराई जावे ।

संलग्नक–

1– पत्र दिनांक 24–3–2011
प्रेषक श्री आई के शर्मा
2– पोस्टल आर्डर संख्या 34 एफ–323666

प्रार्थी
(निशान्त त्यागी )
एडवोकेट
चेम्बर नम्बर 23, सिविल कोर्ट
सहारनपुर।

14/8/15
True Copy

85

मुख्य सर्तकता अधिकारी,
सी. पी. पी. आर. आई.,
सहारनपुर

दिनांक:– 24. 3. 11

निवदन यह है कि आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस संस्थान में कर्मिक विभाग के कनिष्ठ सहायक श्री डी. के. नेगी अपने अवकाश यात्रा भत्ता सुविधा के अर्न्तगत प्रस्तुत बिल संख्या 2/10–11 दिनांक 20.4.10 से 27.4.10 में अपने तीन बच्चों को यात्रा में शामिल दिखाकर उनके व्यय का भुगतान ले चुके हैं। उनमें से एक सबसे छोटे बालक का जन्म 23.2.1999 में उषा नर्सिंग होम 49 प्रकाश पुरम, बाजोरिया रोड, सहारनपुर में हुआ था। जो नियमानुसार दिनांक 20.10.1998 के बाद जन्मा होने के कारण इस सुविधा के पात्रता श्रेणी में नहीं आता। इस बालक के जन्म की तिथि 23.2.1999 होने के सम्बन्ध में हमारी कालोनी में बहुत से व्यक्ति जो 1998 से इस कालोनी में रह रहे हैं विस्तार से जानते हैं और इस समय यह बालक (दिव्यांश नेगी) नगर के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान सन्टमेरी एकेडमी मिशन कम्पाउंड सहारनपुर में कक्षा 6 'सी' में अध्ययनरत है। और वहां भी उसकी जन्मतिथि 23.2.1999 ही अंकित है। इस तरह श्री नेगी द्वारा अपने छोटे बालक को फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर दिनांक 20.10.1998 से पूर्व में जन्मा हुआ दिखाकर उसकी अवकाश यात्रा भत्ता सुविधा का लाभ लेना सर्वथा नियम विरुद्ध है। जिससे श्री नेगी के द्वारा संस्थान में अनियमितता एंवम् अपराधिक कार्य करने की पुष्टि होती है।

इसी के अनुक्रम में एक अन्य प्रकरण भी प्रकाश में आया हैं। जिससे श्री नेगी की प्रेस के साथ संलिप्तता स्पष्टतः प्रकट होती है। तथा उसमें अवैध परितोषण की सम्भावना सम्भावित हैं यह प्रकरण निम्नांकित है।

संस्थान द्वारा वर्ष 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें 250 प्रतियां अग्रेंजी की तथा 100 प्रतियां हिन्दी की रायल प्रिंटिंग प्रेस डी–57 साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से छपवायी गई जिसमें प्रेस को वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गयी दरों को आधार मानते हुए वर्ष 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रिंटिंग कार्य सौंपा गया प्रेस द्वारा उक्त कार्य के सन्दर्भ में अंकन रु0 2,84,002/– का बिल संख्या 33/1613 व 34/1614 दिनांक 15.11.10 का भुगतान हेतु प्रेषित किया गया जिसमें अनियमितता पाये जाने के कारण जांच कमेटी गठित की गयी तथा कमेटी द्वारा अधिक चार्जेज को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 50,000 रु0 काटकर रु0 2,34,541/– का भुगतान किये जाने को उपयुक्त पाया गया जिस पर प्रेस द्वारा कोई आपत्ति न करते हुए 50,000 रु0 कम का भुगतान प्राप्त कर लिया जो यह प्रदर्शित करता है कि वास्तव में प्रेस द्वारा 50,000 रु0 अधिक बिल में चार्ज किये गये। जिसमें विभाग के सम्बन्धित कर्मियों की संलिप्तता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।

उपयुक्त तथ्य की पुष्टि इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि वर्ष 2009–10 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या 120 है। कुल फोटोग्राफ 67 है तथा प्रतियों की संख्या 250 अग्रेंजी व 100 हिन्दी की है जब कि वर्ष 2008–09 की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठों की संख्या 94 तथा कुल फोटोग्राफ 31 है तथा 250 प्रतियां अग्रेंजी व 100 हिन्दी की है जिसका भुगतान विगत वर्ष अंकन रु0 2,34,670/– बिल संख्या 27/1307 व 27/1308 दिनांक 12.12.09 है किया गया है। हलतः उक्त बिल में भी अधिक चार्जेज लिये गये दृष्टिगोचर होते है इसके अतिरिक्त इसी प्रेस द्वारा SOUVENIR 2009 के प्रिंटिंग कार्य में भी अंकन रु0 2,09,747/– बिल संख्या 26/1290 दिनांक 9.11.09 में किया गया है।

उपरोक्त सभी प्रकरण संस्थान में पनप रहे अवैध परितोषण और रायल प्रिंटिंग प्रेस की खराब साख को स्पष्टतः प्रदर्शित करते हैं। जिसकी गहन जांच की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि सम्बन्धितों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही हो सके एंव ऐसी प्रेस को विभाग की काली सूचि में अंकित किया जाना भी श्रेयष्कर होगा ताकि संस्थान भविष्य में अनावश्यक अपव्यय से बच सकें। संस्थान के हित को दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों के सज्ञान में यह लाया जाना अपना नैतिक कर्तव्य मानते हुए मैं यह रिपोर्ट प्रेषित करता हूँ।

True Copy

प्रार्थी

आई. के. शर्मा
सैक्शन आफिसर
(वित्त एंव लेखा विभाग)

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
An autonomous organisation under the administrative control of Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India
(Registered under Societies Act)

स्पीड पोस्ट

पत्रांक: सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./209-2011/2015/13(i)/ 1262 दिनांक: सितम्बर 4, 2015

श्री निशांत त्यागी,
एडवोकेट,
चैंबर न.23,
सिविल कोर्ट,
सहारनपुर-247 001

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांकित 4.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 12.8.15) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने तीन आवेदन पत्र दिनांकित 4.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 12.8.15) का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न की जाती है साथ ही आर. टी. आई. फीस की रसीद स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./209, स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./210, स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./211 दी. 12.8.15 भी संलग्न है।

भवदीय,

(बी.पी.थपलियाल)
जन सूचना अधिकारी

संलग्न : यथोक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

D:\New Data 08.05.2014\RTI\copy Reply 10.doc

Post Box No. 174, PAPER MILL ROAD, HIMMAT NAGAR, SAHARANPUR 247001 (U.P.) INDIA
Tel. Direct (0132) 2714050, TeL. EPABX (0132) 2714059, 2714061, 2714062
Cable : CEPPRI, Saharanpur, Fax (0132) 2714052, 2714054, website : www.cppri.org.in
Email : director@cppri.org.in, info@cppri.org.in

BASE OFFICE
10-Birbal Road, Jangpura Extension, New Delhi - 110014
Phone-(011) 24315400, Fax.:(011) 24315401

CENTRAL PULP & PAPER RESEARCH INSTITUTE
SAHARANPUR

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VI Dated 4 .9.2015

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/209–211/2015/13(आई) दिनांक अगस्त 12, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री निशान्त त्यागी के सूचना के अधिकार के आवेदन इस विभाग को अग्रसारित किए गए थे। इस संबध में आपके पत्र के क्रम के अनुसार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

1. **आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/209 (2 पेज):–** आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
2. **आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/210 (4 पेज):–** आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।
3. **आवेदन संख्याः 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/211 (2 पेज):–** आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

डा. बी.पी.थपलियाल
वैज्ञानिक ई–2, जन सूचना अधिकारी
सीपीपीआरआई, सहारनपुर

Speed/Regd./Courier

EMS SPEED POST

EU117034712IN

23

कप्रांगसं

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
Central Pulp & Paper Research Institute
Post Box No. 174, Paper Mill Road,
Himmat Nagar, Saharanpur 247 001

SP To: ICH SAHARANPUR Hub
EU117034712IN
Counter No:1,OP-Code:NNN
###########################
Amount:Rs17.00
###########################
Wt:26grams,11/09/2015 14:58
From:SAHARANPUR H.O. (247001)
DelvryPo:SAHARANPUR(247001)

D2/M/1219